जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स एम.एल नम्बर 14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि – 13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि – 5.9422 हेक्टेयर) निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड़ माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सेण्ड़–910260 TPA +रिजेक्ट/वेस्ट – 101140 TPA) हेतु पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई दिनांक 17 मई 2025 को प्रातः 11:30 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक का कार्यवाही विवरण :–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 17 मई, 2025 को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार–निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक (राजस्थान) में मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स एम.एल नम्बर 14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि–13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि – 5.9422 हेक्टेयर) निकट ग्राम नोहठा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड़ माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सेण्ड़–910260 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 101140 TPA) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी।
3. श्री सोहन लाल, सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचारपत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 14.04.2025 और स्थानीय समाचार पत्र दैनिक ताज भारती में दिनांक 14.04.2025 को आमसूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

(संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जार ही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित सिलिका सेण्ड खनन परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, के पर्यावरण सलाहकार मैसर्स एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से श्री सुर्यांश अवस्थी ने प्रस्तावित सिलिका सेण्ड खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई. जिसमे खनिज खनन पट्‌टा क्षेत्र, संभावित खनिज भंडार, खनन योग्य भंडार, लक्षित उत्पादन, खनन पट्‌टे की अवधि, खनन अपशिष्ट, ऊपरी मिट्‌टी, खनन हेतु कुल मानव शक्ति की आवश्यकता, खनन की विधि, जल की आवश्यकता, जल स्त्रोत, इको सेंसिटिव जोन, निकटतम बस्ती, निकटतम शहर, निकटतम राजमार्ग, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम पर्यटन स्थल, निकटतम डिफेन्स इन्सटालेशन, निकटतम पुरात्व महत्व का स्थान, निकटतम संवेदनशील क्षेत्र, निकटतम शैक्षणिक सुविधाए, निकटतम चिकित्सा संबधित सुविधा, निकटतम नदी/जलाशय, आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र, खननपट्‌टा क्षेत्र–स्थान मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, खननपट्‌टा क्षेत्र फोटो,पानी का संतुलन, खनन का विवरण, वर्ष वार प्रस्तावित खनन विकास, खनन क्षेत्र के भूमि उपयोग की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र का भू–उपयोग, आधार (कोर और बफर जोन), निगरानी स्टेशनों को दर्शाने वाला मानचित्र, निगरानी स्टेशन, आधारभूत अध्ययन (कोर और बफर जोन), जैविक पर्यावरण, संकल्पना परियोजना, प्रभाव

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

एवं प्रबंधन, वर्षवार संचयी वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के साधनों पर खर्च का विवरण, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास की जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला टोंक ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/ विचार/ आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थितजन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **श्री सुजान जाट पुत्र श्री रामेश्वर जाट, ग्राम– नोहटा, तहसील–निवाई,** जिला–टोंक खान का खसरा नम्बर बताये, आपने आबादी जमीन जिस पर गाँव बसा हुआ हैं। उसको लीज कर दिया हैं। पुरात्तव विभाग का कार्यालय गाँव से 02 किलोमीटर दुर हैं, जबकि पॉवर पाइंट प्रेजन्टेशन में 15 Km तक कोई नही बताया गया हैं। उन्होन फिर पुछा कि खान किस खसरा नं0 पर स्थित हैं। अवगत कराये क्योकि गॉव जिस खसरे पर बसा हुआ हैं, उसमें लीज आंवटित कर दी गयी हैं।

   श्री सुर्याश अवस्थी द्वारा खान के खसरा नम्बर के बारे में जानकारी दी गयी।

   श्री सुजान जाट द्वारा उक्त खसरों की किस्म पुछी गयी, जिसका जवाब श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय व श्री सोहन लाल, सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक, द्वारा दिया गया

   श्री सुजान जाट द्वारा बताया गया कि इस माईन्स की वजह से मेरे परिवार के लगभग 50 आदमीयों की मृत्यु हो चुकी हैं। ओर ये (परियोजना प्रस्तावक) बता रहे है कि स्कूल वहाँ से 500 मीटर दूर हैं। जबकि स्कूल खान से सटी हुई हैं। यह लीज चल जाएगी तो हम मर जाएगें, हम कहाँ जाएगें अतः हमारी यही विनती हैं कि आप इन्हें NOC जारी न करे।

   श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि हम यहाँ NOC जारी नही कर रहें हैं। यह जन सुनवाई है जो आप कह रहे हैं, एक एक शब्द लिखेगें, वह बिलकुल वैसा ही हम कार्यवाही विवरण में लिखेगें तथा संक्षम स्तर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें। जो आप कर रहे है उसकी वीडियों ग्राफी भी हो रही हैं, विडियोग्राफी को भी कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा।

   श्री सुजान जाट द्वारा बताया गया कि माईन्स वालों ने 20 वर्षो तक ग्रामवासीयों को बेवकूफ बनाकर खान चलाई हैं हमारे गाँव के कम से कम 100 व्यक्ति मर चुके हैं, और 90% लोग टी.बी. से ग्रसित हैं, अस्थमा की बीमारी हैं। इसको मध्य नजर रखते हुए ग्रामवासीयो का यही आग्रह हैं कि इस माईन्स को NOC जारी नही की जाए। ग्राम पंचायत नोहटा व पंचायत समिति निवाई के प्रधान का प्रतिनिधित्व करते हुए की तरफ से आपको ज्ञापन देगें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

2. **श्री स्वराज सिंह, अध्यक्ष करिरिया वन प्रबन्ध समिति ग्राम करीरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः**–द्वारा बताया गया कि हमारे वर्तमान सरपंच जी ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया हैं, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान उपप्रधान ने लेटर हेंड पर लिख कर दिया हैं उच्चा पंचायत ने लिख कर दिया हैं। हमारे सभी जन प्रतिनिधियों ने लिख कर दिया हैं उन सब का विचार यह हैं कि यह माईन्स उद्योग न लगे, हमरी पंचायत मे आप व्यापार ही करना चाहतें हैं, तो कोई अन्य उद्योग लगा ले। आप लोगों का व्यापार करने का उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम हमारे लोगों को नही खोना चाहते हैं आपसे निवेदन हैं कि आप कृपया विचार करे और इस जगह पर कोई अन्य उद्योग स्थापित कर लें।

3- **श्री राम महाराज अघोरी, ग्राम–नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः**– ने अवगत कराया किइन लोगों द्वारा जो स्क्रीप्ट बताई गयी थी वह लगभग 80% झुटी है। प्रेजेन्टेशन में 1.5 कि0मी0 मे स्कूल नही होना बताया गया हैं, 15 कि0मी0 में कोई पुरात्तव नही होना बताया गया, जबकि माईन्स के आसपास, सती मंदिर, तेजा जी मंदिर, काली माता का मंदिर, शनिदेव का मंदिर आदि कुल 27 मंदिर स्थित हैं। इस माईन्स के चलने से सभी को हानि पहुचेगी। माईन्स 2005 से बन्द हैं तब भी 03 कि0मी0 तक घास नही उगती हैं। मेरी सगी चाची जी की मृत्यु हुई हैं। दिखाया गया मानचित्र झुटा हैं। परियोजना प्रस्तावक सरकार को गुमराह कर रहें हैं। यदि यह माईन्स चलती हैं आबादी प्रभावित होगी तो 5–7 गाँव को विस्थापित करना पडेगा। परियोजना प्रस्तावक को तो उद्योग करना हैं, लेकिन प्रभावित स्थापित लोग होगें। हमारी आपति को सरकार तक पहुँचाया जाए।

4- **श्री प्रहलाद जाट पुत्र श्री श्रवण जाट,ग्राम–नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः**–ने बताया कि नोहटा गॉव के पास सिलिका की दो माईन्स स्थित हैं। जिनकी आपस में दुरी मात्र 100 मीटर हैं। जिनसे हमारा गॉव 90–100 मीटर दुर स्थित हैं। खान की वजह से तालाब का पानी दूषित रहता हैं। इस माईन्स की पहले भी शिकायत हुई थी। गॉव 20 साल बाद टी.बी. मुक्त हुआ। अगर खान चलाई जाती है तो पुरा गॉंव खत्म हो जाएगा।

5- **श्री रामराज चौधरी पुत्र श्री राम करण, अध्यक्ष वन सुरक्षा समिति नोहटा, ग्राम–नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः**– ने बताया कि दोनो माईन्स गाँव से सटी हुई हैं। जब यह माईन्स पूर्व में संचलित थी तब माईन्स से उड़ने वाली धुल से बाहर सोने वाले लोगो का विस्तर मैला हो जाता था। फिर से ऐसा ही होगा। टिन सेड सफेद हो रहा हैं। उन्होंने बताया कि उक्त माईन गैर मुमकिन पहाड़ अरावली पर्वत श्रखला में आते हैं गाँव के निकट दो सिलिका की माईन्स हैं। माईन्स के चलने से टी.बी. की बीमारी होगी।

6- **श्री दशरथ सिहं, ग्राम–नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः**–ने बताया कि मेरा घर लीज के नजदीक हैं। खान अरावली में आती हैं। यहाँ बालाजी का स्थान हैं। जिन्द बाब का स्थान हैं, कृष्ण जी का मंदिर हैं, तेजी जी का मंदिर हैं, शमशान हैं, आगनबाड़ी हैं, तालाब हैं। लीज नही चलनी चाहिए, हम आगे तक जाएगे। एक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आदमी अपने फायदे के लिए लोगों को मार देगा। हम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक जाएगे। सत्य का साथ नही छोंडेगे। माईन्स को चलने नहीं देगे। माईन्स को एन.ओ.सी.नहीं दी जाए। माईन्स के चलने से वन्यजीव भी प्रभावित होगें। लीज से आबादी मात्र 100 मीटर हैं, इस माईन्स से 50 मीटर पर ही फोरेस्ट की बाऊण्ड्री आ गयी हैं। आप कैसे NOC दे सकतें हैं।

सहायक खनि अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि इनका Forest Diversion का प्रस्ताव लंबित हैं। Forest Diversion 2010 तक वैध था अब जब दुबारा फोरेस्ट डाईवर्जन होगा तबी माईन्स चालू होगी.। वन विभाग, लीज वाले हिस्से को फोरेस्ट से बाहर करेगा। उसी कण्डीशन में माईन्स चालू होगी। यह जनसुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु हैं। यदि पर्यावरणीय स्वीकृति मिल भी जाती हैं एवं फोरेस्ट डाईवर्जन नही होता हैं, तो भी माईन्स चालू नही होगी।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र में वन विभाग की जमीन भी है। जब तक उसका फोरेस्ट डाईवर्जन नहीं हो जाता वे फोरेस्ट से बाहर नही हो जाती तब तक स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उटता हैं।

अति0 जिला कलक्टर टोंक ने बताया कि फोरेस्ट से बाहर होने की प्रक्रिया हैं। ये माईन्स किसी व्यक्ति विषेश की हैं। हम Public Interest (आम जन के हित हेतु) फोरेस्ट डाईवर्जन के प्रयास करते हैं, जैसे सड़क का कोई 100 मीटी का टुकडा मान लिजिए फोरेस्ट में आ गया, एक गाँव में सड़क बनानी है लेकिन बीच में 100 मीटर का टुकडा फोरेस्ट में आ गया जब तक उनका फोरेस्ट डाईवर्जन नही होगा। (फोरेस्ट से बाहर नहीं होगी) तब तक वह सड़क नही बन सकती। हमारे बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्टस काफी समय से पडे हुए है। फोरेस्ट डाइवर्जन बहुत rare चीज हैं, आसानी से मिलता नही हैं। फोरेस्ट के अलावा बात करे तो यह पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई हैं। यहाँ पर यह खुला मंच हैं, आपत्तिकर्ता भी स्वतत्रं हैं। इसके एक प्रोविजन हैं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु इन्होंने (परियोजना प्रस्तावक) ने आवेदन किया हैं एवं E.I.A. Notification 2006 एवं समय–समय पर संशोधनों के प्रावधानों की अनुपालना में प्रभावित लोगों के बीच जा कर जनसुनवाई करनी होती हैं। जिससे लोगों के विचार जाने जा सके कि उनका क्या मत हैं। आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति की, इनमें इनसे (परियोजना प्रस्तावक) से कहा कि आप ने बताया कि आपने इन आपत्तियों के सम्बन्ध में क्या उपाय अपनाने की निति हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी गयी ये सारी चीजें रिकार्ड हो रही हैं। हम इस जनसुनवाई का कार्यवाही विवरण बनाकर मय फोटो ग्राफ एवं विडियोंग्राफी SEIAA, Rajasthan के को प्रेषित करेगें। SEIAA, Rajasthan निर्णय लेंगे कि क्या करना हैं, NOC देनी हैं, या नहीं देनी हैं। आप अगर कुछ लिखित में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो लिखित आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं हम आपके लिखित आक्षेप। आपत्ति को भी कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

करके SEIAA Rajasthan को प्रेषित करेगें निर्णय SEIAA Rajasthan द्वारा ही लिया जाएगा, हम लोग यह पर्यावरणीय स्वीकृति पर कोई निर्णय नहीं ले रहें हैं।

उक्त जनसुनवाई के दौरान निम्न प्राप्त लिखित आक्षेप/ आपत्ति/सुरक्षा प्राप्त हुए जिनकी प्रति संलग्नक हैं (संलग्नक–य)।

क्र.स.	व्यक्ति संख्या	प्राप्ति दिनांक	विशय
1.	ग्रामवासी, ग्राम पंचायत–नोहटा, पं0स0 निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
2.	श्रीमति काली देवी प्रशासक, ग्राम–पंचायत नोहटा, पं0स0 निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
3.	श्री दयाराम जाट, उपप्रधानं, पंचायत समिति–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
4.	श्री रामराज, अध्यक्ष वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
5.	श्री/श्रीमति मीना चौधरी, अध्यक्ष ग्राम वन सुरक्षा, करीरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर टोंक, जिला टोंकः– आज की जनसुनवाई में जो भी विचार जो भी आपत्तियॉ मिली हैं, जो भी दस्तावेज आपने दिये हैं हमने सारी रिकॉडिंग की हैं, इस सबको जन सुनवाई की कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करतें हुए सक्षम स्तर को प्रेषित करेगें, आप जो लोग भी कार्यवाही विवरण की प्रति लेना चाहे उन्हें उपलब्ध करायी जाएगी। अन्तिम निर्माण सक्षम स्तर (SEIAA Rajasthan), से होगा, आपकी बात सक्षम स्तर तक पहुँचाएगें।

अन्त मे जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलक्टर टोंक,
जिला–टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

PUB-132 संलग्न-अ

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07/04/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील निवाई में स्थित ग्रामों में सिलिका सेण्ड खनन किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत् किया जाता हैः–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 3188 दिनांक 10.03.2025 श्री बालाजी मिनरर्ल्स	करीरिया	पंचायत समिति सभागार, निवाई में दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11.00 बजे
2	पत्रांक 3191 दिनांक 10.03.2025 श्री बालाजी मिनरर्ल्स	नोहटा	पंचायत समिति सभागार, निवाई में दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11.30 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16008-15 दिनांक 07/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी निवाई।
3. तहसीलदार निवाई को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति निवाई को भेजकर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर पंचायत समिति सभागार में आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, वरिष्ठ सहायक न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत.....निवाई.....।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति क्रमांक 31 दिनांक 8/4/
बून्दी (राज.)

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :07-04-2025 01:32:00

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWAI

संलग्नक : ए

मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स एम.एल नम्बर 14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्रफल 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि – 13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि – 5.9422 हेक्टेयर) निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड़ माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सेण्ड़ – 910260 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 101140 TPA) हेतु आयोजित पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11:30 AM बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक में उपस्थित अधिकारी स्थानीय नागरिकगण एवं आमजन का उपस्थिति पत्रकः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkaria	ADM Tonk	[signature]
2.	Shiv Kumar	Regional Officer, RSPCB Bundi	[signature]
3	Sohanlal Suthar	Asst. Mining Engineer Tonk	[signature]
4.	Nimit Kasliwal	Proponent	[signature]
5.	Rajesh Saini	Manager Shri Balaji	
6.	Suyash Awasthi	Manager - EESPL - Jaipur	[signature]
7	रामकरण	नोहटा	रामकरण
8	रघुनाथ रेगर	नोहटा	रघुनाथ रेगर
9	गोरधन	नोहटा	गोरधन
10	Bharat Sahu	JEO, EESPL, Jaipur	[signature]
11	जवरसिंह	नोहटा	जवरसिंह
12	मुकेश	नोहटा	मुकेश
13	प्रमेश	नोहटा	प्रमेश
14	धूलचन्द	नोहटा	धूलचन्द
15	रोडू	नोहटा	[signature]
16	रामचन्द्र	नोहटा	रामचन्द्र
17	राजेन्द्र सिंह	नोहटा	राजेन्द्र सिंह
18	हनुमान गमद [illegible]	नोहटा	हनुमान
19	करण सिंह	नोहटा	करण सिंह
20	गणराज सिंह	नोहटा	गणराज सिंह
21	Ashish Choudhary	मांडी	Ashish

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	Monu Chaudhary	Kareriya	monu chaudh
23	विजेन्द्र मीणा	सवाई माधोपुर	विजेन्द्र मीणा
24	Rajveer Singh	दरभ० निवाई	Rajveer
25	कन्हैया लाल सैनी	नोहटा	कन्हैया
26	दिलकुश जाट	नोहटा	दिलकुश
27	Kuldeep choudhary	नोहटा	Kuldeep
28	सियाराम चौधरी	नोहटा	सियाराम
29	दिपक जाट	नोहटा	दिपक
30	लोकेश गुर्जर	नोहटा	लोकेश
31	GIRAJ SHARMA	नोहटा	GIRAJ
32	Bablu	नोहटा	Ballu
33	Kishan GURJAR	Nohata	Kishan
34	रामलाल गुर्जर	नोहटा	रामलाल
35	करतार गुर्जर	नोहटा	करतार
36	Sunil Gurjar	सिलारा	Sunil
37	Tej Ram Choudhary	Nohata	[illegible]
38	[illegible]	नोहटा	[illegible]
39	[illegible]	नोहटा	[illegible]
40	[illegible]	मां ब्रह्माणी मंदिर	
41	ओंकार सिंह चौधरी	करीरिया पं. नोहटा निवाई	[illegible]
42	सुरज्ञान जाट	नोहटा तह० निवाई	[illegible]
43	रामराज चौधरी	नोहटा	रामराज
44	मुरारीलाल बैरवा	किवाड़ा	[illegible]
45	मोतीलाल गुर्जर	करीरिया	[illegible]
46	Pankaj Sattawan	JEE, RSPCB, Bundi	Pankaj

संलग्नक -'य'

JEE(क)
17/5/25

कुमारी पर्यावरण जनसुनवाई मेंहदे
प.स. - निवाई ।

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया
टोंक ।

M.L.N-11/2000 व M.L.-14/1998

विषय :– ग्राम नोहटा में श्री बालाजी मिनरल्स जयपुर की खदानों लीज अवधि को दुबारा रिन्व्यू नहीं करने बाबत्।

प्रसंग :– सिलिका सेन्ड खनन किये जानेसेपर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.** में स्थिति **श्री बालाजी मिनरल्स** की जो खदाने स्थित है जिसके ख.नं. 755/1 किस्म गै. मु. पहाड़ व ख.नं. 756/3 किस्म गै.मु.आबादी के लगवा स्थित है। जो पहाड़ के नीचे आबादी में पुरा गांव बसा हुआ है तथा पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त मिनरल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस व टी.बी. जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं तथा पूर्व में भी कहीं व्यक्तियों की अकाल मृत्यू हो चुकी है। उक्त पहाड़ की तलहटी पर अनेक प्रकार के देवी–देवता के मन्दिर बने हुये है जैसे–बांलाजी, कंकाली माताजी, उठा–पटक बालाजी, जिन्द बाबा, ग्वाल पगडी, हनुमान मन्दिर, तेजाजी मन्दिर व श्री भजनानन्द गिरीजी व शंकरागिरी जी महाराज के आश्रम स्थित है, उक्त खदानों से पहाड़ के चारों तरफ बने जो सनातन धर्म के मन्दिर व आश्रम को भी खतरा है तथा खनन में बलास्टिंग करते है जिससे मन्दिरों व मकानों में दरारे आ जाती और मन्दिर व मकान गिरने की सम्भवना उत्पन्न हो जाती है।

श्रीमान जी पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था। अगर यह खदानें दुबारा चालू होती है तो मानव जीवन की समस्त जिम्मेदारी खनन विभाग, जिला प्रशासन व राज्य सरकार की होगी तथा ग्रामवासियों को दुबारा आन्दोलन करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

अतः मानव जीवन की रक्षा हेतु उक्त खदानों को दुबारा रिनव्यू नहीं करें।

वार्ड पंच - 7
रतिराम जाट

दिनांक– 17/05/25

संलग्न–
1. डॉक्टर की रिपोर्ट
2. पूर्व शिकायतों की कॉपी

कमली
प्रशासक
ग्राम पंचायत नोहटा
पं.स. निवाई जिला - टोंक

रामराज
सुल्तान राम
9783084357

शिवराज
Bhagu

महावीर जाट

रामराज
9983386192

समस्तग्रावासी
ग्राम नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

चौथमल

[signature]

हरिओम गुर्जर

नवल सिंह

सावरमल गुर्जर

राहुल चौधरी

गिरराज शर्मा

तेजराम चौधरी

मोहित सिंह

Dilkhush Gaur

अंशुल गौरा

Kuldeep choudhary

अभिषेक गुर्जर

करण जाट

प्रकाश चौधरी

Ashish Choudhary

किशन गुर्जर

Ajay Sharma

विकास चौधरी

विनोद सैनी

आशीष चौधरी

श्रीराम चौधरी

रोहित गुर्जर

विनय वर्मा

मोतीलाल

मुरारीलाल बैरवा

JEEC(P) 17/5/25

कार्यालय ग्राम पंचायत, नोहटा

पंचायत समिति निवाई (टोंक-राज.)

प्रेषक :

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, नोहटा
पंचायत समिति निवाई (टोंक-राज.)

प्रेषिति : प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई निवाई। व
श्रीमान् राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड/जयपुर।

पत्रांक

दिनांक 17/05/2025

विषय : -

प्रसंग :- सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम नोहटा व करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थिति श्री बालाजी मिनर्ल्स की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित सात मन्दिरों को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस व टी.बी. जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

भवदीय

कमली
कमली देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत नोहटा
पं.स.निवाई जिला–टोंक

A-25

JEE(CP) 17/5/25

दयाराम जाट
उपप्रधान, पंचायत समिति, निवाई
अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी देहात मण्डल, नटवाड़ा

निवास :
ग्राम-करीरिया, तह. निवाई (टोंक-राज.)
मो. 9829246557

क्रमांक : दिनांक 17/05/2025

प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प० सं० - निवाई (टोंक)

प्रसंग :- सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा** व **करीरिया** तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थिति **श्री बालाजी मिनरर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनरर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनरर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनरर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

(उपप्रधान प.स. निवाई)

भवदीय

JEE(P)
१०/५/२५

प्रभारी ~~जनसुनवाई~~
पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प० स० - निवाई टोंक

प्रसंग :– <u>सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.** में **अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थिति पहाड में श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण नही हो सकें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

दिनांक–17 / 05 / 2025

भवदीय

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति
नोहटा तह० निवाई जिला टोंक राज.

JEE(P)
[signature]
17/5/25

प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प० स० निवाई।

प्रसंग :— सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा व करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज. में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थिति पहाड में श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण नही हो सकें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

दिनांक 17/05/2025

भवदीय

मीना चौधरी

तह० निवाई जिला टोंक राज.
करीरिया

ग्राम जोरडा में Tuberculosis ~~[illegible]~~ जिनको Treatment दिया गया।

S.N.	Name नाम	Father Name		Age	Year (सन)	Cat/Result
1	रामप्रसाद	S/o हरिनारायण जाट	जोरडा	31yr	2000	five [illegible]
2	कजोडमल	S/o मूलचन्द पांचाल	जोरडा	25yr	2000	Cat III [illegible]
3	घासीराम गोपा	S/o कालू गोपा	[illegible]	65yr	2000	five [illegible]
4 (ग्राम [illegible])	सोनादेवी	w/o रामकिशन स्वामी	जोरडा	20yr	2000	Neg
5	गणेश	S/o भानाराम जाट	जोरडा	70yr	2001	Neg
6	मथुरादेवी	w/o हरिनारायण जाट	" "	45yr	2001	Neg
7	बजरंगलाल	S/o भैरूलाल तेली	" "	60yr	2001	Neg
8	[illegible]	S/o [illegible]लाल जाट	" "	35yr	2002	five [illegible]
9	[illegible]	S/o किशनलाल जाट	" "	21yr	2002	five [illegible]
10	[illegible]राम	S/o [illegible] जाट	" "	70yr	2002	Neg
11	[illegible]	S/o [illegible]राम जाट	" "	35yr	2003	five [illegible]
12	राजाराम	S/o [illegible] जाट	" "	16m	2003	five [illegible]
13	रामेश्वर	S/o रामचन्द्र जाट	" "	28yr	2003	five [illegible]
14	ओमप्रकाश	S/o [illegible]लाल [illegible]	" "	55yr	2004	Neg. Cat III
15	[illegible]लाल	S/o [illegible] जाट	" "	45yr	2004	five [illegible]
16	रामचन्द्र	S/o [illegible] जाट	" "	50yr	2004	[illegible]
17	पप्पू कुमार	S/o रामकल्याण जाट	" "	40yr	2004	Neg - III
18	[illegible]	w/o [illegible]लाल सैनी	" "	40yr	2004	five Cat I
19	[illegible]	S/o [illegible] [illegible]	" "	20yr	2004	[illegible]
20	~~[illegible]~~	[illegible] शर्मा	" "	35yr	2004	[illegible]
21	शंकरलाल	S/o रामकिशन जाट	" "	45yr	2005	Neg. Cat III
22	[illegible]	w/o रामकिशन [illegible]	" "	25yr	2005	Neg.
	[illegible]लाल	S/o [illegible] शर्मा	" "			
	हजारी	S/o [illegible] [illegible]				

(२३) रामजीलाल S/O कन्हैयालाल पुजारी मोहल्ला उम्र [illegible]

(२४) [illegible] S/O [illegible] " " [illegible]

(२५) [illegible] S/O [illegible] " " [illegible]

(२६) [illegible] S/O [illegible] " " [illegible]

(२७)

[signature]
8/12/05

प्रभारी
टोंक

विषय : सिलिका खान से ग्राम वासियो को फेफड़ो में फेलती सिलीकोसिस बिमारी [illegible] रोग स्वास रोग तथा पत्थरीली चट्टानो के ढहने से गाव वासियों को मलवे मे [illegible] से बचाने बावत।

महोदया,

निवेदन यह है कि ग्राम नोहटा तहसील निवाई, जिला टोंक में स्थित बालाजी माईन्स नाम से पहाड़ी पर सिलिका की खान है जो कि ग्राम के मकानो से 10 मीटर के फासले पर [illegible] है। इस खान मे विगत कई वर्षो से खनन कार्य चालू है। खानों मे लगी मशीनो से अलग अलग वेरायटी मे छानकर सिलिका पाऊडर तैयार किया जाता है जो हवा मे उड़कर मकानो पर व अन्दर प्रवेश करता है तथा गांव के वातावरण मे छायी रहती है जिससे पुरे गांव का वातावरण दूषित हो रहा है। जिससे ग्राम वासियो को स्वास लेना भी कठिन हो रहा है। तथा गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को कोई न कोई बिमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है तथा कई मृत्यु मुख मे जा चुके है लेकिन प्रशासन ने इस और कोइ ध्यान नहीं दिया कई बार खानमलबे में ग्रामवासी के दबने से बन्द रही लेकिन लेदेकर पुन: चालू कर दी गई है इस खान की डस्ट से ग्राम वासियो को फेफड़ो की सिलोकोसिस, दमें एवं क्षय रोग पेट दर्द रोग आदि से ग्रसित चल रहे है इसका प्रमाणीकरण मेडीकल मुआयना करवा कर किया जा सकता है पहाड़ी के एक तरफ खनन करने से पहाड़ी कभी भी ढहकर पूरे गांव को चपेट मे लेसकती है। पूरे गांव की आस्था व श्रद्धा के प्रतीक मन्दिर काली माता मन्दिर [illegible] के आस पास खनन मलवा डलवाया जाकर मन्दिरो को धीरे धीरे दबाया जा रहा है जिससे इनका पुरातत्व महत्व घटता जा रहा है इससे ग्राम वासी काफी आक्रोशित हैं खान के खनन कार्य को बन्द करवाने बाबत कई बार शिकयते ग्राम पंचायत से लेकर जिलाधीश टोंक को भी दी गई है। लेकिन इस खान से सिलिका खनन कार्य एव उड़ान कार्य बंद नही हुआ हैं।

इस खान पर कार्यरत अब तक सिलिका के कारण 15-20 मजदूर अकाल मौत मारे जा चुके है चूंकि अधिकतम मजदूर अशिक्षित होने से सिलिका डस्ट से होने वाली बिमारियो से अनभिज्ञ है तथा असमय इसकी बिमारी की चपेट मे आकर मारे जाते है। इसके अलावा ग्रामीण वासी कई बीमारीयो जैसे सिलीकोसिस, दमा, फेफड़ो के अन्य रोग पेट दर्द आदि बिमारियो से ग्रसित रहते है। तथा गरीब होने के कारण ठीक से समय पर ईजाल नही करवाने से बीमार पड़े है तथा कई मर चुके है। इनको तो सिर्फ खान पर मजदूरी करने जाना है क्योंकि खान पर [illegible] पत्थरों को काटने के लिए ब्लास्टिंग [illegible]
रही है जिससे ग्राम [illegible] दरारें [illegible]
चुके है तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर व अन्य पक्षी [illegible] हो चुके है [illegible]
है, [illegible] करते है [illegible]
[illegible] कोई कार्यवाही नही हुई

इसके खान के मालिक ने गाव के प्रत्येक परिवार से मजदूर लगा रखा है तथा नेताओं व अधिकारियों को बांधे रखा है। जिससे इस खान के विरूद्ध कोई कार्यवाई आज तक नही हो पाई है। जब की गत वर्ष राजस्थान उच्चन्यायालय द्वारा गावों व रिहायशी ईलाकों के पास चल रहे खनन कार्यो पर रोक लगाने के लिए कानूनी आदेश जारी किये थे इस विषय में प्रमाण के लिए इस सूचना की एक प्रतिलिपी इस पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है। अब देखते है नई सरकार जो स्पष्ट बहुमत में बी.जे.पी. की आई है। हम ग्रामवासी कहाँ तक व कैस इस दूषित पर्यावरण से निजात दिलाती है।

इस खान से सबसे गंभीर समस्या स्वास लेने की है। इस खान से 24 घंटे सिलिका पाऊडर मकान पर खेतो पर प्रदूषित वायू रूप मे वातावरण मे छाया रहता है जिसका प्रेक्टीकल निरीक्षण कर सत्यता का प्रमापीकरण किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हम ग्रामीणवासियों को स्वस्थ वातावरण में स्वास लेने के जन्म सिद्ध एवं संवेधानिक अधिकार को इस खान को नोहठा में बंद करवाकर दिलवाया जावे तथा इसके ढहने पर ग्रामीण जनो की जान माल एवं मंदिरों को दबने से बचाया जावे।

प्रार्थीगण
ग्रामीणजन
ग्राम नोहठा, तहसील निवाई
जिला टोंक (राज.)

प्रतिलिपि निम्न को तुरन्त आवश्यक कार्यवाई हेतू प्रेषित है :–

1. खानमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर सचिवालय,
2. पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर सचिवालय,
3. वन मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर,
4. जिलाधीश महोदय, जिला टोंक, राजस्थान,
4. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रेपित आदेश की प्रतिलिपी।

सचिव
[illegible] नोहठा
तहसील [illegible] (राज.)

प्रार्थीगण
ग्राम वासी नोहठा

धनपाल

बाबु लाल स्वामी

उप सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]

नींव न खोदें

आदिकाल से ही मानव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, [illegible]किन विज्ञान के विकास के साथ इनका दोहन बहुत [illegible]त हो गया है। मानव का लालच भूमिगत जल को [illegible]नों से सोख रहा है। इसका नतीजा यह है कि [illegible]जस्थान के जयपुर जिले के तेरह में से दस ब्लाक [illegible] जोन में आ गए है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार [illegible]छले पांच वर्ष में जितना भूजल स्तर गिरा, उतना तो [illegible]छले पचास वर्षों में भी नहीं गिरा था। राजस्थान में [illegible]धाधुंध वनों की कटाई से वन क्षेत्र भी सिकुड़ रहा है। [illegible]लची निगाह से पहाड़ और पशु भी नहीं बच पाए है। [illegible]सलिए यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि [illegible]रिस्का जैसे संरक्षित राष्ट्रीय अभयारण्य से बाघ गायब [illegible] रहे है और देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तक [illegible] इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। इंसानी लालच [illegible] विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली को ही [illegible]कट में डाल दिया है। छह सौ बानवे किलोमीटर लंबी [illegible]रावली का 550 किलोमीटर का हिस्सा तो सिर्फ [illegible]जस्थान में ही है। यह पर्वतमाला राजस्थान के साथ [illegible]जरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसलिए [illegible]रावली पर आया खतरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित [illegible]हीं है।

उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अरावली क्षेत्र में निर्माण और खनन पर रोक लगाने के निर्देश देकर मामले की गंभीरता को रेखांकित भी किया है। रेगिस्तान का विस्तार रोकने में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अरावली पर्वतमाला नष्ट हो गई तो राजस्थान ही नहीं हरियाणा, गुजरात और दिल्ली भी रेगिस्तान के विस्तार से अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए अरावली क्षेत्र में निर्माण और खनन को नियंत्रित किया जाना हम सभी के हित में है। मुश्किल यह है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से खनन को भी प्रशासन रोकने में विफल रहा है।

असल में अवैध खनन में इतनी कमाई है कि प्रशासनिक अमला [illegible] सिक्कों की खनक के कारण बहरा हो जाता है। अवैध खनन हम रोक नहीं पा रहे, वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की ओर से आंख मूंदे है, संरक्षित क्षेत्रों में बाघ जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा हम से हो नहीं रही, भूजल का स्तर बढ़ाने के बारे में कोई ठोस योजना है नहीं, फिर हम किस मुंह से पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते है? सरकार, समाज और आम आदमी को यह बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि [illegible] के लिए खतरा [illegible]कर हम खुद अपनी नींव खोद रहे है।

अवैध खनन से ग्रामीणों में रोष

[illegible] सिरस, 10 जून। ग्राम पंचायत नोहटा में सड़क के समीप स्थित चरागाह भूमि पर ठेकेदार द्वारा जे.सी.बी. मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। ब्लाक [illegible] कांग्रेस के संगठन मंत्री कुं. [illegible] सिंह (नोहटा) व नेहरू नवयुवक मण्डल सचिव नाथूलाल [illegible] ने विज्ञप्ति में बताया है कि नोहटा ग्राम की सम्पर्क सड़क मार्ग के सहारे स्थित चरागाह भूमि पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। [illegible] को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन की मशीन को रुकवाया, लेकिन ठेकेदार ने बताया कि मुझे खनन के लिए स्वीकृति मिली हुई है। अवैध खनन को लेकर यहां झगड़े की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में सिंह ने मुख्यमंत्री व जिला [illegible] को पत्र लिखकर चरागाह भूमि पर अवैध खनन रोकने की मांग की है। (नि.स.)

अरावली में खनन पर सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी)। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अरावली की पहाड़ियों पर गैर कानूनी ढंग से खनन कार्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह गुड़गांव जिले में इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर अमल के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार कर इसे तीन हफ्ते के भीतर मंजूरी प्रदान करे। न्यायमूर्ति वाई.के. सब्बरवाल और न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया। यह नोटिस उस अर्जी पर दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर गैर कानूनी ढंग से खनन कार्य चल रहा है। पीठ ने मुकदमे की शुरूआत में ही कह दिया [illegible] (• शेष पृष्ठ 8 पर)

अधिकारी के निर्देशों के बाद भी अवैध खनन जारी

नरां, निवाई, 18 जून।

ग्राम पंचायत नोहटा में उपखंड अधिकारी मुकुटबिहारी जांगिड़ के अवैध खनन रोकने के निर्देशों के खनन कार्य किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार गत दिनों ग्राम पंचायत नोहटा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि ग्राम नोहटा की चरागाह भूमि में स्थित रोड़ी को अवैध तरीके से खोदकर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। ज्ञापन में ठेकेदार द्वारा अवैध खनन करने से आने वाले समय में पशुओं के लिए परेशानी हो जाएगी। चरागाह क्षेत्र में अवैध खनन की सरपंच सहित ग्राम पंचायत की पूरी कोरम को जानकारी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंचायत व ठेकेदार की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने कई बार अवैध खनन रुकवाने के प्रयास किए, परंतु खनन कार्य कुछ समय के लिए बंद कर फिर शुरू कर दिया जाता है। बाद में उपखंड अधिकारी मुकुटबिहारी जांगिड़ ने 9 जून को ग्राम पंचायत नोहटा के सचिव को मौके पर जाकर खननकर्ता के अनुमति पत्र कि फोटो कापी सहित खनन संबंधी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी के निर्देश के बावजूद अभी तक सचिव द्वारा उपखंड कार्यालय में खनन संबंधी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस कारण नोहटा में अवैध खनन जारी है, जिससे ग्रामीणों में [illegible] है।

अदालती रोक भी नहीं रोक पाई अवैध खनन

■ ठेकेदारों व वन विभाग की मिलीभगत
■ प्रदूषण से अब तक 10 जानें गईं

निवाई, 10 अप्रैल (निसं)।

उपखंड मुख्यालय, बोहटा, नाहरवाड़ी पहाड़ी, पराना, भरथल, झिलाय आदि दर्जनों गांवों में उच्चतम न्यायालय की रोक के बावजूद खुलेआम खनन कार्य हो रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते यहां न्यायालय की रोक सिर्फ मजाक बनकर रह गई है, जबकि पहाड़ियों के खनन कार्यों की निगरानी के नाम पर सरकार यहां हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन यही ढाक के तीन पात खनन कार्य आज भी जारी है। रोज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रोलियों को पत्थर भरकर ले जाते देखा जा सकता है।

खान मालिकों व ठेकेदारों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि उच्चतम न्यायालय की रोक को इन्होंने एक तरफ रख दिया है। ठेकेदारों व वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि जहां एक ओर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है वहीं इस क्षेत्र के वाशिंदों के लिए खनन कार्य मौत का सबब बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पत्थरों की कटाई व विस्फोटों से उड़ने वाली धूल से अब तक करीब 10 जनों की मौत हो चुकी है। पर्वतमालाओं में ब्लास्टिंग करने तथा क्रेशर से उड़ते पत्थरों के पाउडर से आसपास के पेड़-पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। वनस्थली रोड पर पलेई के पास तथा टोंक रोड पर पहाड़ी के पास पत्थर पीसने की मशीनें लगी हुई हैं। मशीनों से उड़ने वाली धूल का पेड़-पौधों, मकानों व खेतों पर बुरा असर पड़ रहा है।

अरावली खनन

(शेष पृष्ठ 1 कॉलम 3 का)

[illegible] अदालत का धैर्य समाप्त हो [illegible] है, क्योंकि गैर कानूनी खनन कार्य रोक[illegible] के बारे में कोई अदालत द्वारा [illegible] आदेश जारी किए जाने के बावजूद [illegible] के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। न्याया[illegible] ने हरियाणा सरकार से कहा कि [illegible] खनन से माल उठाकर ले जा रहे [illegible] को जब्त कर लिया जाए। न्यायाल[illegible] याद दिलाया कि इससे पहले [illegible] अवैध खनन रोकने के आदेश जारी [illegible] गए है लेकिन राज्य में न्यायालय के [illegible] की परवाह किए बिना अवैध ख[illegible] काम जारी है। सालिसीटर जनरल [illegible] वाहनवटी ने न्यायालय को [illegible] अवैध खनन रोकने के लिए रा[illegible] ने एक कार्ययोजना तैयार की है [illegible] बारे में शपथ-पत्र भी दायर [illegible] चुका है।

की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पूर्व में कई बार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित विभागों को तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस सिलिका खनन पाउडर की डस्ट से कई प्रकार की बीमारियाँ, से ग्राम में अब तक कई अकाल मौते हो चुकी है। कृपया इस असंवैधानिक खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से बन्द करवा कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करे,

आपकी अति महति कृपा होगी।

दिनांक :

भवदीय

समस्त ग्रामवासी ग्राम नोहटा,
तहसील निवाई, जिला-टोंक (राज0)

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

(1) माननीय प्रधानमन्त्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) माननीय केन्द्रीय वन एवं खनिज एवं पर्यावरण मन्त्री, नई दिल्ली।
(3) माननीय मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
(4) माननीय वन एवं पर्यावरण एवं खनिज मन्त्री, राज. सरकार, जयपुर।
(5) श्रीमान् जिलाधीश महोदय, टोंक (राज0)
(6) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मुख्यालय निवाई (टोंक)
(7) श्रीमान् तहसीलदार साहब, निवाई (टोंक)

दिनांक :

भवदीय

रामराय

सोनाराम

कौन करे जतन कि रुके खनन

खानों से उड़ने वाली गर्द से लोगों में टीबी का खतरा, पंचायत ने दिया खान प्रबंधकों को नोटिस, नोहटा की पहाड़ियों में हो रहे खनन के खिलाफ ग्रामीण एजकुट

भास्कर न्यूज • निवाई, 3 दिसंबर। नोहटा में अरावली शृंखला पर चार दशक से जारी खनन इंसानी सांसों पर भारी पड़ने लगा है। खनन मशीनों से उड़ने वाली धूल ने जहां 5 किलोमीटर परिधि की भूमि को बंजर बना दिया है वहीं कइयों को टीबी की बीमारी तोहफे में दी है।

...दो साल पूर्व नोहटा निवासी खान श्रमिक रामप्रसाद जाट (24) तथा पांच साल पहले गोपाललाल रैगर (22) टीबी से मौत हो गई थी। नोहटा क्षेत्र के अलावा करीरिया, रहड़, कांटोली, जामड़ोली आदि गांवों में भी टीबी के कई मरीज हैं। इनका उपचार ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय में चल रहा है। आए दिन होने वाली ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े घरों में गिरते रहते हैं। कई बार लोग इनसे चोटिल भी हो चुके हैं। खान मालिकों से शिकायत करने पर एक ही जवाब मिलता है कि अपना सामान ठठा कर कहीं और ले जाओ। जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर, खान मंत्री, वन मंत्री, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को खनन से होने वाली परेशानी से अवगत करा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सरपंच फूला देवी गुर्जर ने कहा कि ग्राम सभा की एक आपात बैठक बुलाकर प्रबंधकों को खनन बंद करने का नोटिस दिया, किंतु खान मालिकों ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

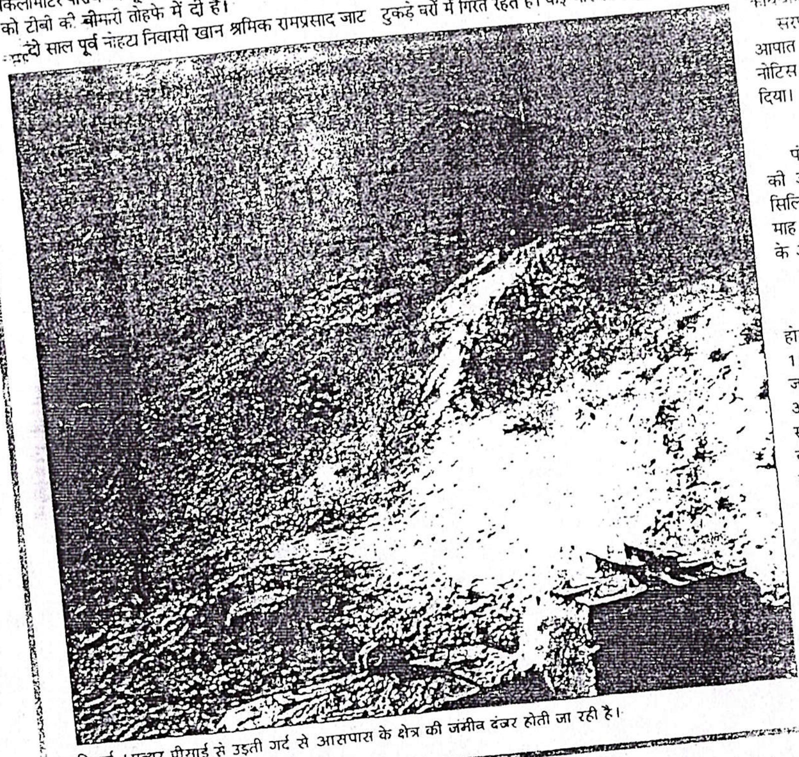

निवाई। पत्थर पीसाई से उड़ती गर्द से आसपास के क्षेत्र की जमीन बंजर होती जा रही है।

कदम्ब के पेड़ों को खतरा

पंस सदस्य रामेश्वर जाट ने बताया कि राजस्थान में नोहटा की अरावली शृंखला पर ही कदंब के पेड़ हैं। खनन व सिलिका पाउडर से इन पेड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक माह पूर्व कदंब के तीन पेड़ खनन की भेंट चढ़ गए। गांव के अधिकांश मकानों में ब्लास्टिंग से दरारें पड़ गई हैं।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन

पट्टे शर्त के अनुसार खान गांव से तीन किलोमीटर दूर होनी चाहिए, जबकि यहां पत्थर पीसने की मशीनें 100-150 मीटर की दूरी पर ही हैं। आरक्षित वन क्षेत्र में भी खनन जारी है। पट्टाधारी बालाजी मिनरल्स के बोर्ड पर पट्टे की अवधि 6-11-2003 से 5-11-2003 लिखी हुई जो समझ से परे है। गांव के अस्थमा पीड़ित त्रिलोक सिंह ने बताया कि खान मालिक का पट्टा सिलिका पाउडर बनाने का है।

श्रमिक कानून का उल्लंघन

खान श्रमिक रामसहाय शर्मा ने बताया कि खानों में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। मजदूरों को 60 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। काम के दौरान किसी श्रमिक के घायल होने पर इलाज भी नहीं कराया जाता। कम उम्र के बच्चे भी खान में मजदूरी कर रहे हैं।

पत्थर के बुरादे से टी.बी. का खतरा

ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय के चिकित्सा अधिकारी डा. बालिस्टर सिंह ने बताया कि खान के आसपास के गांवों के निवासी तथा खान श्रमिकों को टीबी, अस्थमा तथा फेफड़ों में सूजन जैसी बीमारी होने की आशंका रहती है। डा. सिंह ने बताया कि इन गांवों के दर्जनों टीबी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

संगठन तथा पर्यावरण प्रेमियों ने किया विरोध

अखिल भारतीय मीणा संघ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रामभजन मीणा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार खनन पट्टे देने में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि संघ नोहटा में खान बंद कराने के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराएगा।

60 रुपए की खातिर जिंदगी दाव पर

एक महिला श्रमिक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हाड़ तोड़ मेहनत पर खान मालिक मात्र 60 रुपए मजदूरी ही देता है। उसने बताया कि पत्थर पीसने की मशीन से उड़ने वाली धूल से उन्हें सांस की बीमारी हो गई है।

आमरण अनशन की चेतावनी

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संयोजक कामरेड कन्हैयालाल सैनी ने खनन नहीं रोके जाने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि खान मालिकों ने 15 दिन में खनन बंद नहीं किया तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे।

वन प्रसार अधिकारी अशोक गुप्ता ने कहा कि यदि वन विभाग का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खान मालिकों के मामले को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि हरे कदंब के वृक्ष काटना कानूनन अपराध है, किन्तु लीज क्षेत्र में कोई पेड़ आता है तो पट्टाधारक द्वारा उसका शुल्क जमा करवाया जाता है।

अशोक गुप्ता, वन प्रसार अधिकारी

खनन बंद करवाने को लेकर दिया ज्ञापन

निवाई। अरावली शृंखला पर खनन रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार महेंद्र सिंह मीणा को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने नोहटा उप सरपंच राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में रविवार दोपहर को ग्रामीण खुद ही क्रेसर बंद करवा देंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रहलाद सिंह, बाबू लाल स्वामी, छगन सिंह, दशरथ सिंह गौड़, पोखरमल जाट, मदन नाई, रामचन्द्र जाट, सत्यनारायण सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे।

'विकलांगों को योजनाओं से जोड़ें'

समारोहपूर्वक मनाया विकलांग दिवस

टोंक, 3 दिसंबर • कार्य...

केन्द्र में ...

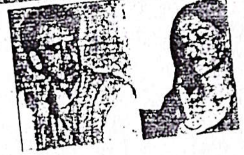

चार दिन से संलेखना समाधि

ब्लास्टिंग के पत्थर घरों में बरस रहे हैं

न्यूज सर्विस

टोंक, 28 नवम्बर। जिले की निवाई तहसील के ग्राम नोहटा में चल रहे खनन कार्य से लोगों को खतरा उत्पन्न होने लगा है। यहां अवैध रूप से किये जा रहे ब्लास्ट के कारण लोगों के घरों में पत्थर आने लगे हैं। यहां सिलिका पाउडर उड़ने से लोग टीबी व दमा जैसी बीमारियों के आगोश में जाने लगे हैं। सोमवार को ग्राम नोहटा के दशरथ सिंह, शंकर, प्रहलाद जाट, नाथू, नंद किशोर, बृजलाल चौधरी, शंकर सिंह, कानाराम सहित आये जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को दिये शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम नोहटा में विगत कई वर्षों से बालाजी माईंस के नाम से सिलिका का खनन कार्य बेरोकटोक चालू है। यह खनन कार्य ग्राम नोहटा जो कि आबादी क्षेत्र में है, से मात्र 10 मीटर की दूरी पर चल रहा है। यहां पर पहाड़ी से पाउडर तथा पत्थर का खनन कर सिलिका पाउडर का अलग-अलग वैरायटी में माल छनकर मशीनों से तैयार किया जाता है। जिससे मशीनों से छनकर सिलिका पाउडर दिनभर जो कि सिलिका एक बारीक कांच रेतनुमा है, उड़कर वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

दूसरे के धन को छीनना, पराई नारी से सम्बन्ध रखना और मित्रों पर सन्देह करना ये तीन दोष मनुष्य [illegible]

[illegible] 3.00 बजे तक [illegible] कार्यारम्भ [illegible] वर्जित रखना हितकर है।

1530 से 1540, मक्का 646, जौ 790 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खनन बन्द कराने का प्रस्ताव

निवाई, 30 नवम्बर (निसं)। ग्राम पंचायत नोहट्टा स्थित पहाड़ों पर किए जा रहे खनन को बन्द कराने को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की आपात बैठक बुलाकर सर्व सम्मति से खनन कार्य को बन्द करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम पंचायत की बैठक
किसानों ने किया प्रदर्शन
खनिज मंत्री को पत्र

ग्राम पंचायत भवन में सरपंच श्रीमती फूला देवी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक हुई। इसमें जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ में हो रहे खनन से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते पहाड़ की चट्टाने तोड़ने के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से पत्थर घरों में गिरते हैं, जिससे कई बार तो बालक, पशु एवं महिलाएं घायल हो चुकी है। इसके अलावा यहां संचालित पत्थर पिसने की मशीनों से सम्पूर्ण गांव का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ पत्थर पिसते समय निकलने वाले बुरादे (खक) की परते चारों ओर जमी रहती है तथा कई लोग इससे बीमारी के भी शिकार हो रहे है। इस दौरान उप सरपंच राजेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर चौधरी, वार्ड पंच नाथूलाल सहित अनेक लोगों ने खनन का विरोध करते हुए शीघ्र खनन को रोकने के लिए खनिज मंत्री एवं स्थानीय प्रशासन को भी पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि खनन बन्द करने की कार्रवाई शीघ्र नहीं गई तो ग्रामीण आन्दोलन पर उतारू होंगे।

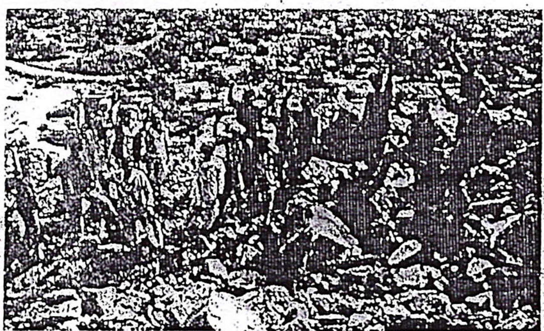

निवाई के ग्राम नोहट्टा में बुधवार को पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। पत्रिका

पूरी रात्रि

मालपुरा, 30 नवम्बर (नि.सं.)। यहां रामद्वारे में स्वामी विनती राम महाराज की दसवी पुण्य तिथि पर मंगलवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया।

भजन संध्या: भजन संध्या में शास्त्रीय संगीत गायकों ने सम्पूर्ण रात्रि श्रोताओं को बांधे रखा।

[अ]वैध रूप से किया जा रहा खनन कार्य रुकवाया जाए

उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया

भास्कर न्यूज • निवाई, 12 अप्रैल। [illegible] अधिकारी सत्येन्द्र शर्मा को ज्ञापन देकर नोहटा के [illegible] में [illegible] किए जा रहे खनन कार्य को रुकवाने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि 12 दिसम्बर, 02 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी यहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा है [illegible] पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में आयोजित हुई ग्रामसभा में भी प्रस्ताव पारित कर ठेकेदार को खनन रोकने आदेश दिए गए थे। उसे निर्धारित सीमा में खनन कार्य के लिए पाबंद किया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने कोई दस्तावेज पंचायत में पेश नहीं किए हैं।

खनन कार्य को बंद करने का निर्णय

न्यूज सर्विस

निवाई, 30 नवम्बर। तहसील के ग्राम नोहटा के समीप ब्लास्टिंग पाउडर की क्रेशर मशीनों द्वारा उड़ती सिलिका डस्ट से हो रहे प्रदूषण को लेकर जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री कु. दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में एक राय होकर स्थानीय ग्राम पंचायत नोहटा के सरपंच श्रीमती फूला देवी की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में समस्त ग्रामवासियों की एक राय से ग्राम नोहटा की पहाड़ी में हो रहे खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया।

पंचायत की बैठक में ग्रामवासियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से इस पहाड़ के ऊपर ब्लास्टिंग की जा रही है। जिसकी कई बार शिकायत उपखण्ड व जिला प्रशासन प्रशासन एवं खान मालिक व प्रबन्धकों को की जा चुकी है। बैठक में उप सरपंच राजेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर जाट सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

पाक्षिक बैठक आज

मालपुरा, 30 नवम्बर। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक पदेन सचिवों की प्रथम पाक्षिक बैठक एक दिसम्बर को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति के सभागार में रखी गई है। यह जानकारी विकास अधिकारी धर्मपाल चौधरी ने दी।

देवल[…] गांव गोपी[…] एक मेटाडो[…] व्यक्ति की घ[…] गई। राष्ट्रीय […] गांव गोपीपुर […] भरा ट्रक नं. […] साइड में खर[…] था। सन्तरे […] के ड्राईवर ने […] ट्रक के टक्कर […] 08/जी 014[…] के गहरोट था[…] निवासी ओंव[…] कुमी उम्र 42 […] ही मृत्यु हो […] दुर्घटना […] टोडा, कुस[…]

निवाई के ग्राम नोहटा में अवैध खनन को लेकर सोमवार को टोंक में जिला कलक्टर को ज्ञापन देते ग्रामीण।

पत्रिका

अवैध खनन को लेकर ज्ञापन दिया

टोंक, 28 नवम्बर (निसं.)। आबादी क्षेत्र में पहाड़ पर अवैध खनन करने के खिलाफ निवाई के ग्राम नोहटा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में बताया कि ग्राम नोहटा में कई वर्षों से अवैध खनन बेरोक-टोक चालू है। खनन क्षेत्र आबादी से मात्र दस मीटर की दूरी पर है।

पहाड़ पर विस्फोट करने से आबादी क्षेत्र में पत्थर आते रहते हैं। इससे कई [illegible] लोग पत्थरों की मार से घायल हो चुके हैं। वहीं पत्थरों को काटने से उनका पाउडर वातावरण में घुल जाने से लोगों को दमा व सांस लेने आदि की बिमारियां होने लगी हैं।

ज्ञापन में अवैध खनन रोकने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला परिषद सदस्य कानाराम मीणा, दशरथ सिंह, बाबू स्वामी, प्रहलाद चौधरी, पोखर जाट, रामवतार चौधरी व शंकर सिंह आदि शामिल थे।

8 | दैनिक भास्कर
जयपुर, मंगलवार 29 नवंबर, 2005

आकाशगंगा
आज का सूर्यास्त
शाम: 17:33
कल का सूर्योदय
सुबह: 06:56

खनन व पत्थर ब्लास्टिंग को रोकने की मांग

टोंक, 28 नवंबर • कासं। गांव नोहटा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के समीप अवैध रूप से किए जा रहे खनन व पत्थर ब्लास्टिंग को रोकने की मांग की है।

नोहटवासी शंकर सिंह, प्रहलाद जाट, श्योजीराम जाट, जिला परिषद सदस्य कानाराम, दशरथ सिंह आदि ने बताया कि गांव के समीप बालाजी माईन्स द्वारा सिलिका का खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दमा, श्वास, टीबी आदि की बीमारियां फैलती जा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बालाजी माईन्स गांव की पहाड़ी पर वन विभाग की मिलीभगत से सिलिका पाउडर छनाई की मशीन लगाई गई है।

ज्ञापन में बताया गया है कि उसी स्थान पर पांच दिनों से पत्थर ब्लास्टिक भी की जा रही है, जिससे उसके उछले पत्थर आबादी क्षेत्र में आकर गिरते हैं। इस बारे में एसडीएम निवाई को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

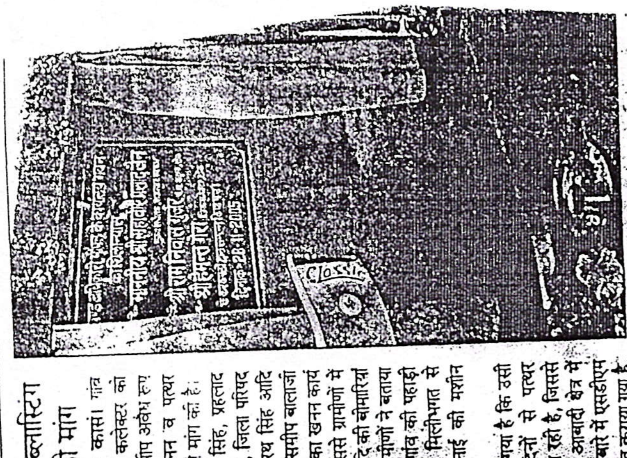

पीपलू। एसडीएम भवन की […]

हीरालाल

सदस्य, राजस्थान विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र, निवाई

उपरला बास, निवाई
(टोंक राज.) 304021
Ph. : 01438 - 222217
Mob. : 9414277667
M-23, बजाज नगर, जयपुर

दिनांक :- [illegible]/7/05

पत्रांक :- 21 381/हि./05

अति आवश्यक

श्रीमान जिला कलेक्टर
टोंक

विषय :- ग्राम नोहटा तह. निवाई में सिलिका पाउडर का अवैध खनन बाबत

मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत मुख्यालय नोहटा तह. निवाई (टोंक) में सिलिका पाउडर का अवैध खनन नियमों के विपरीत किया जा रहा है। इस बाबत ग्राम वासी आपको भी ज्ञापन दिया है। मुझे भी ज्ञापन दिया है। जिसकी प्रति आपके पास भिजवा रहा हूँ।

इस खनन से ग्रामीणों में क्षय रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। वन विभाग के [illegible] के पेड़ों के भी नष्ट होने की पूरी संभावना है। सिलिका पाउडर पूरे क्षेत्र में उड़ने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी नुकसान हो रहा है।

अतः कृपया इस प्रकरण में जांच कर ग्रामीणों को राहत दिलावें। ताकि ग्रामीणों का जीवन बचाया जा सके। इस प्रकरण की प्राथमिकता से कार्य(?) क्रियान्विति होवेगी।

भवदीय
हीरालाल
सदस्य
राजस्थान विधान सभा

संलग्न :- ज्ञापन की छाया प्रति (एक)

प्र. [illegible]
10/12/05

Rs.28,17,093/- (Rupees Twenty Eight Lac Seventeen Thousand Ninety Three Rupees Only) together with interest from **27.11.2024** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No. **RARCBFL0000671717/2650.** The said loan account along with its underlying securities, including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting as Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. Ltd.)** ("Assigner") in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on **08/04/2025.**
The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in Respect of time available to redeem the secured assets.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties and any dealings with the property/properties will be subject to the charge of the Reliance Asset Reconstruction Company Limited for an amount of **Rs.28,170,93/- (Rupees Twenty Eight Lac Seventeen Thousand Ninety Three Rupees Only)** as on **27.11.2024** towards the LAN - **RARCBFL0000671717/2650** along with interest charges till its realization.

Description of immovable property

All that part and parcel of the Property's consisting of Property PLOT NO. 30, AMBEDKAR NAGAR, HARMADA, TEHSIL - AMER, DISTT. JAIPUR, RAJASTHAN, admeasuring 122.22 Sq. Yardsin the name of MOOL CHAND JYOTISHI Bounded: - On the North by: PLOT NO. 29 On the South by: PLOT NO. 31 On the East by : OTHERS PLOT On the West by: ROAD OF 30'0" WIDE

Authorized Officer
Reliance Asset Reconstruction Company Limited
Trustee of RARC 077 Trust

Date: 08.04.2025
Place: Jaipur

RELIANCE

Reliance Asset Reconstruction Company Ltd.(RARC 077 Trust)
Address : 11th Floor, North Side, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregoan (East), Mumbai 400063
9549476434

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

[See Rule-8(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of **Reliance Asset Reconstruction Company Limited,** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred upon me under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated **24.12.2024** in respect of Loan Account bearing No. **RARCBFL0000671779/2382** calling upon the Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors :- **VIKRAM SAIN S/O RAJU SAIN, SANTOSH W/O RAJU, RAJU S/O NATHU LAL, VISHAL S/O RAJU, MANOJ S/O RAJU SEN&ASHOK SAIN S/O LATE SRI SATYANARAYAN SAIN** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.50,61,477/- (Rupees Fifty Lac Sixty One Thousand Four Hundred Seventy Seven Rupees Only)** together with interest from 27.11.2024within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No. **RARCBFL0000671779/2382.** The said loan account along with its underlying securities, including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting as Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. Ltd.)** ("Assigner") in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on **08/04/2025.**
The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in Respect of time available to redeem the secured assets.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties and any dealings with the property/properties will be subject to the charge of the Reliance Asset Reconstruction Company Limited for an amount of **Rs.50,61,477/- (Rupees Fifty Lac Sixty One Thousand Four Hundred Seventy Seven Rupees Only) as on27.11.2024** towards the LAN - **RARCBFL0000671779/2382** along with interest charges till its realization.

Description of immovable property

All that part and parcel of the Property's consisting of Property PLOT NO. B-54, KRISHNA VIHAR EXT., VILLAGE MACHERA NEAR BALAJI ENG. COLLAGE, SIKAR ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN, admeasuring 100.00 Sq. Yardsin the name of SANTOSH SAIN
Bounded: - On the North by: PLOT NO. B-53 On the South by: PLOT NO. B-55
On the East by : PLOT NO. B-35 On the West by: ROAD OF 30'0" WIDE

Authorized Officer
Reliance Asset Reconstruction Company Limited
Trustee of RARC 077 Trust

Date: 08.04.2025
Place: Jaipur

HDFC BANK
We understand your world

Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013 and having one of its office as Retail Portfolio Management at HDFC Bank Ltd, 1st Floor, I-Think Techno Campus, Kanjurmarg (East), Mumbai – 400042.

SALE INTIMATION AND PUBLIC NOTICE FOR SALE OF SECURITIES PLEDGED TO HDFC BANK LTD.

The below mentioned Borrowers of HDFC Bank Ltd. (the "Bank") are hereby notified regarding the sale of securities pledged to the Bank, for availing credit facilities in the nature of Loan/Overdraft Against Securities.
Due to persistent default by the Borrowers in making repayment of the outstanding dues as per agreed loan terms, the below loan accounts are in delinquent status. The Bank has issued multiple notices to these Borrowers, including the final sale notice on the below-mentioned date whereby, Bank had invoked the pledge and provided 7 days' time to the Borrower to repay the entire outstanding dues in the below accounts, failing which, Bank would be at liberty to sell the pledged securities without issuing further notice in this regard. The Borrowers have neglected and failed to make due repayments, therefore, Bank in exercise of its rights under the loan agreement as a pledgee has decided to sell / dispose off the Securities on or after **21st April 2025** for recovering the dues owed by the Borrowers to the Bank. The Borrowers are, also, notified that, if at any time, the value of the pledged securities falls further due to volatility in the stock market to create further deficiency in the margin requirement then Bank shall at its discretion sell the pledged security within one (1) calendar day, without any further notice in this regard. The Borrower(s) shall remain liable to the Bank for repayment of any remaining outstanding amount, post adjustment of the proceeds from sale of pledged securities.

Sr. No.	Loan Account Number	Borrower's Name	Outstanding Amount as on 10th April 2025	Date of Sale Notice
1	XXXX8171	SACHIN SOHANIYA	10,04,333.08	11-04-2025
2	XXXX9544	NEHA SAXENA	1,98,468.68	11-04-2025
3	XXXX8468	RAJVEER SINGH SISODIYA	19,48,392.00	11-04-2025
4	XXXX9621	VIKAS SHARMA	63,376.84	11-04-2025
5	XXXX3774	PUSHPA LODHA	2,04,206.40	11-04-2025
6	XXXX9442	VIJAY BHANDARI	9,92,411.64	11-04-2025
7	XXXX4060	RHYTHAM SOMANI	34,660.00	11-04-2025
8	XXXX9871	RAM SWAROOP SHARMA	9,77,509.42	11-04-2025
9	XXXX7647	VARUN CHUGH	65,650.08	11-04-2025
10	XXXX9057	NAVADIP KAUR	10,08,991.52	11-04-2025

Sd/-
HDFC BANK LTD.

Date : 14.04.2025
Place : RAJASTHAN

Venue: Hotel Safari, Gopalpur Bypass Rd, Near Surya Nagar, Gopal Pura Mode, Jaipur, Rajasthan - 302018.

Name: Mubarak Ali | **Mob. No.:** 8655952183

Nippon Life India Asset Management Limited | CIN : L65910MH1995PLC220793

Good gets better

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RELIANCE

Reliance Asset Reconstruction Company Ltd.(RARC 077 Trust)
Address : 11th Floor, North Side, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregoan (East), Mumbai 400063
9549476434

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

[See Rule-8(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorized officer of **Reliance Asset Reconstruction Company Limited**, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred upon me under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice Dated **24.12.2024** in respect of Loan Account bearing No. **RARCBFL0000671707/2887**calling upon the Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers &Guarantors:-**OMPRAKASH SINGH S/O VIHARI SINGH, SAVITA DEVI W/O OM PRAKASH SINGH, SHAILENDRA SINGH S/O OM PRAKASH SINGH&BALA KANWAR W/O RAMAVIR SINGH** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.17,91,159/- (Rupees Seventeen Lac Ninety One Thousand One Hundred Fifty Nine RupeesOnly)** together with interest from **27.11.2024** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and guarantors mentioned herein above have failed to repay the said amount towards the bearing No. **RARCBFL0000671707/2887.** The said loan account along with its underlying securities, including the Immovable Property had been acquired by Reliance Asset Reconstruction Company Limited acting as Trustee of RARC 077 Trust from **Baid Finserv Limited (Formerly known as Baid Leasing And Finance Co. Ltd.)** ("Assigner") in terms of section 5 of the SARSAESI Act 2002.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on**08/04/2025.**
The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in Respect of time available to redeem the secured assets.
The Borrowers, Mortgagors, Co-Borrowers & Guarantors mentioned herein above in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/properties and any dealings with the property/properties will be subject to the charge of the Reliance Asset Reconstruction Company Limited for an amount of **Rs.17,91,159/- (Rupees Seventeen Lac Ninety One Thousand One Hundred Fifty Nine Rupees Only) as on27.11.2024** towards the LAN - **RARCBFL0000671707/2887** along with interest charges till its realization.

Description of immovable property

All that part and parcel of the Property's consisting of Property PLOT NO. 28, SURYA NAGAR, SCHEME NO. 08, NEAR J.D.A. COLONY, V.K.I AREA ROAD, NO.17, AKERA ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN, admeasuring 150.00 Sq. Yardsin the name of OMPRAKASH SINGH.
Bounded: - On the North by: PLOT NO. 27 On the South by: PLOT NO. 29
On the East by : PLOT NO. 23 On the West by: ROAD OF 25,0" WIDE

Authorized Officer
Reliance Asset Reconstruction Company Limited
Trustee of RARC 077 Trust

Date: 08.04.2025
Place: Jaipur

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE

क्रमांक: RPCB/RO Bundi/PUB-132/66 दिनांक: 09/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स एम.एल. नंबर 14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि -13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि -5.9422 हेक्टेयर) निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सैंड माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सैंड - 910260 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट -101140 TPA) **हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।**

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम.एल. नंबर -14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि - 13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि -5.9422 हेक्टेयर)**, निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सैंड -910260 TPA+ रिजेक्ट/वेस्ट -101140 TPA) सम्बंधित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बंधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :
   i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
   ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
   iii. कार्यालय महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक।
   iv. पंचायत समिति, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।
   v. उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक।
   vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए –218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
   vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प्र. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।
   x. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.05.2025 (शनिवार) को **स्थान-पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक** में समय **प्रातः 11:30** बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी जिला बूंदी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बून्दी

कार्यालय नगर परिषद, टोंक (राज.)

क्रमांकः- एमसीटी/2024-25/12334-35 दिनांकः-12-2-2025

इश्तेहार उज्र आपत्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मस्तराम मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा ग्राम मोखमपुरा, उनियारा, टोंक ने अपने भूखण्ड सं. 112 बृज विहार कॉलोनी, टोंक पर 111.52 वर्गमीटर पर भूतल व प्रथम तल पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है-

पूर्व- रास्ता कॉलोनी 40 फिट **पश्चिम- प्लॉट नं. 125**
उत्तर- आम रास्ता 40 फिट **दक्षिण- प्लॉटस नं. 113**

यदि इस कार्य से किसी आम व खास को कोई उज्र या आपत्ति हो तो परिषद में सात दिवस के अन्दर-अन्दर मय सबूत के प्रस्तुत करें। बाद मियाद गुजरने पर किसी भी उज्र या आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और नियमानुसार निर्माण स्वीकृति जारी किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक: RPCB/RO Bundi/PUB-132/66 दिनांक: 09/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स एम.एल. नंबर 14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि -13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि -5.9422 हेक्टेयर) निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सैंड माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सैंड - 910260 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट -101140 TPA) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स**, एम.एल. नंबर -14/98R (पुराना 01/88), खनन क्षेत्र 19.8742 हेक्टैयर (परिवर्तित वन भूमि - 13.932 हेक्टेयर + गैर वन भूमि -5.9422 हेक्टेयर), निकट ग्राम नोहठा, तहसील निवाई, जिला टोंक की प्रस्तावित्त उत्पादन क्षमता का विस्तार 42000 TPA से 1011400 TPA (सिलिका सैंड -910260 TPA+ रिजेक्ट/वेस्ट -101140 TPA) सम्बंधित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बंधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :
   i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
   ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
   iii. कार्यालय महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक।
   iv. पंचायत समिति, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।
   v. उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक।
   vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए –218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
   vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प्र. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।
   x. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.05.2025 (शनिवार) को **स्थान-पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक** में समय **प्रातः 11:30** बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी जिला बूंदी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय

राजस्थान स्थापना दिवस | राजस्थान स्थापना दिव

स्थापना दिवस तिथि से न
पीढ़ी को जोड़ने की दृ

जयपुर(नि.सं.)। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने भारत-भारती संस्था द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान गौरवमय इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रदेश है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्म राजस्थान दिवस को भारतीय प मनाने की घोषणा कर उसकी स करने की सराहना की तथा व भारतीय संस्कृति से नई पीढ़ी को

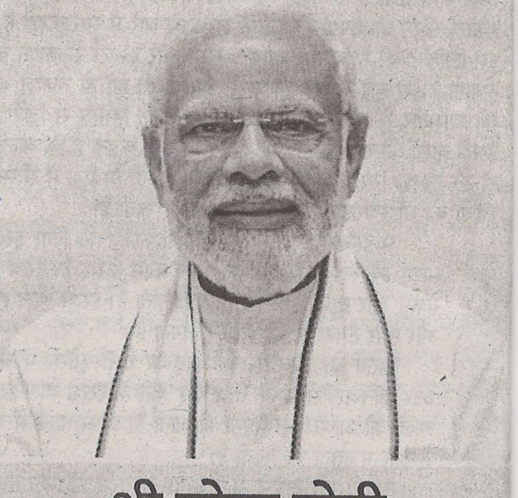

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री